संख्या-164/2020/2540/22-2-2019-17(964)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला, निवासी जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019, दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला, ग्राम-कटारी, थाना-जामो, जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान-अमेठी का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 20.06.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को गैगेस्टर वाद संख्या-166/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 436, 286, 504 व धारा-3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर न्यायालय), फैजाबाद के आदेश दिनांक 31.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2018 तक 15 वर्ष 00 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला (बन्दी संख्या-388/2007) पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला, निवासी जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान-अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-164/2020/2540(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in